



97

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2013 जिला-दतिया

- 1- प्रमोद कुमार पुत्र श्री बिहारीलाल नीखरा, निवासी- शनिचरा मौहल्ला दतिया (म.प्र.)
- 2- सुनीत कुमार मिश्रा पुत्र श्री रमेश कुमार
- 3- संजय नगरिया पुत्र श्री मुरलीधर नगरिया निवासीगण- पकौड़िया महादेव, दतिया (म.प्र.)
- 4- रविन्द्र कुमार सुन्दरानी पुत्र श्री कन्हैयालाल सुन्दरानी, निवासी- गुरुनानक कॉलोनी, दतिया (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- नरेश कुमार यादव पुत्र श्री रतनलाल यादव, निवासी- पट्टापुरा तहसील व जिला दतिया
- 2- परशु पुत्र घनश्याम टीमर, निवासी- खजांची मौहल्ला, दतिया (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/अ-6/11-12 में पारित आदेश दिनांक 02.11.2012 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

- 1- यहकि, भूमि सर्वे क्रमांक 577 रकवा 4.390 हेक्टेयर स्थित ग्राम रामनगर पटवारी हल्का नं. 23 तहसील व जिला दतिया में स्थित है। उक्त भूमि में से आवेदकगण ने 2.592 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत विक्रय-पत्र द्वारा भूमि स्वामी मोहन, परसू तथा जगदीश पुत्रगण घनश्याम रायकवार, निवासी- खजांची मौहल्ला दतिया से दिनांक 15.12.2005 में क्रय की गई थी।
- 2- यहकि, भूमि क्रय करने के पश्चात् विक्रेतागण ने बिक्री की गई भूमि की सीमायें आवेदकगण को मौके पर समझायी थी व आवेदकगण को मौके पर कब्जा सौंपा था, जिसे आवेदकगण द्वारा प्राप्त किया गया था तथा क्रय दिनांक से आवेदकगण उक्त भूमि के 'मालिक की हैसियत से काबिज होकर चले आ रहे हैं।
- 3- यहकि, आवेदकगण के हित में किये गये विक्रय-पत्र के पश्चात् पूर्व भूमि स्वामी परसू ने वर्तमान में गलत चतुर्सीमा वर्णित कर जानबूझकर आवेदकगण

R 140-I/13

रविन्द्र कुमार सुन्दरानी
09.01.13

क.क. प. विवेक
9-1-13

K.K. P. Wivedh
9-1-13


9/1/13

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण 140/एक/2013

जिला-दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
03.10.16	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के.द्विवेदी उपस्थित। उन्होने बताया कि उक्त प्रकरण तहसीलदार दतिया के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जबकि तहसील न्यायालय का आदेश अंतिम आदेश है ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु मूलतः वापिस किये जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>आवेदक अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने के पश्चात् निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापिस किया जाये इसी निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	